

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


कमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./162/2008/1021


भोपाल,दिनांक: 5/8/18

आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका कमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका कमांक-2 तथा तालिका कमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका कमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक कमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक कमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती सखी बाई, सहायक अध्यापक शा.उ.मा.वि.दीवानगंज सांची जिला रायसेन	जनपद पंचायत सांची जिला रायसेन जा.क.2667 दि. 26.12.06	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.क. 3096 दि. 01.07.08 1. शा.प्रा.शा.कालापानी
2	श्रीमती कल्पना विश्वकर्मा, सहायक अध्यापक, शा.नवीन प्रा.क.शाला मारबोडी जिला सिवनी	जनपद पंचायत सिवनी जिला सिवनी जा.क. 191 दि. 30.06.08	जनपद पंचायत साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर जा.क. 185 दि. 13.06.08 1.शा.प्रा.शा.जमाड़ा 2. शा.प्रा.शा.बोदडी
3	श्रीमती कल्पना जैन, सहायक अध्यापक, शा.आदर्श प्रा.शा.परासिया जिला छिन्दवाड़ा	नगर पालिका परिषद, डोंगर, परासिया, जिला छिन्दवाड़ा जा.क. 282 दि. 03.07.08	नगर पंचायत करेली, जिला नरसिंहपुर जा.क. 539 दि.20.06.08 1.शा.प्रा.क.शा.करेली बस्ती 2.शा.बा.प्रा.शा.करेली बस्ती
4.	श्रीमती किरण वर्मा, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.कन्या शा.कहानी जिला सिवनी	जनपद पंचायत घंसौर जिला सिवनी जा.क. 960 दि. 04.06.08	जनपद पंचायत लांजी, जिला बालाघाट, जा.क. 691 दि. 26.06.08 1.शा.प्रा.शा.मणीबाई क.लांजी
5.	श्रीमती निर्मला मिश्रा, सहायक अध्यापक, शा.बा.प्रा.वि.सोहागपुर जिला शहडोल	नगर पालिका परिषद शहडोल जिला शहडोल जा.क. 277 दि. 04.04.08	नगर पालिका निगम सतना जिला सतना जा.क. 276 दि. 03.07.08 1. शा.पूर्व मा.वि.कोलगवां
6.	श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.शा.खामखेड़ा जिला विदिशा	जनपद पंचायत विदिशा जिला विदिशा जा.क. 1505 दि. 10.06.08	नगर पालिका परिषद रायसेन जिला रायसेन जा.क. 256 दि. 12.06.08 1.शा.क.प्रा.शा.पाटनदेव 2.शा.प्रा.शा.कलेक्टर कालोनी रायसेन



-2-

	1	2	3
7.	श्रीमती बीना सिंह सहायक अध्यापक, शा.हाईस्कूल वेल्दह, जिला सीधी	जनपद पंचायत रामपुर नेकिन जा.कं. 872 दि. 26.06.06	नगर पालिका निगम रीवा जिला रीवा जा.कं. 8069 दि. 28.06.08 1. शा.प्रा.शा.माडल बेसिक कमांक-2 रीवा
8.	श्रीमती कृष्णा जाटव, सहायक अध्यापक, शा.मा.वि.मगराना जिला राजगढ़	जनपद पंचायत सारंगपुर जिला राजगढ़ जा.कं. 2211 दि. 24.06.08	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.कं. 2059 दि. 23.06.08 1. शा.प्रा.शा.मुबारकपुर
9.	श्रीमती सविता पटेल, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शाला हरतिर्की जिला सिंगरौली	जनपद पंचायत देवसर जिला सिंगरौली जा.कं. 1641 दि. 17.06.08	जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा जा.कं. 598 दि. 02.06.08 1.शा.प्रा.शा.गौरा, 2. शा.प्रा.शा.अमवा '5'
10.	श्रीमती रेखा गुप्ता, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.नेवली जिला रायसेन	जनपद पंचायत सांची जिला रायसेन जा.कं. 1751 दि. 24.06.08	जनपद पंचायत भिण्ड जिला भिण्ड जा.कं. 1012 दि. 20.06.08 1.शा.प्रा.वि.कंचनपुरी 2. शा.प्रा.शा.रामगढ़

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका कमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका कमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका कमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका कमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका कमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका कमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका कमांक एक में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका कमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका कमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कार्यचरियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।

9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यक्षीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"




उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./162/2008/ 1022 भोपाल,दिनांक: 5/8/08

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारीएवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध करायें। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।



उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./अध्या.संवर्ग/ए/संवि./013/2008/1067

भोपाल, दिनांक 7/8/08


:: संशोधन ::

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आदेश क्र./अध्या.संवर्ग/ए/संवि./013/2008/999-1000, दिनांक 02.08.2008 के द्वारा स.क्र. 17 पर अंकित श्रीमती सोनाली, सक्सेना, अध्यापक, शा. मा.शा. गुलखेड़ी, जिला-राजगढ़ को जिला पंचायत, जिला-राजगढ़ से जिला पंचायत, जिला-रायसेन के शा. माध्यमिक शाला सेहतगंज में अध्यापक के पद पर संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी। एतद् द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्रमांक एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्रमांक एवं दिनांक
1	श्रीमती सोनाली सक्सेना, अध्यापक, शा.मा.शा.गुलखेड़ी, जिला-राजगढ़	जनपद पंचायत सारंगपुर, जिला-राजगढ़ जावक क्र. 2502, दिनांक 14.07.08	नगर पालिक निगम, जिला-भोपाल जावक क्र. 56, दिनांक 05.08.08 शा. मा.शा. चूना भट्टी/पुतलीघर/नेहरु नगर जिला-भोपाल

शेष आदेश यथावत् रहेगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


भोपाल, दिनांक 7/8/08

पृष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/ए/संवि./013/2008/1068

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-राजगढ़ एवं भोपाल मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, राजगढ़ एवं भोपाल मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सारंगपुर, जिला-राजगढ़ मध्यप्रदेश।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, राजगढ़ एवं भोपाल मध्यप्रदेश।
6. संकुल प्राचार्य शासकीय कन्या उमावि पचौर, जिला-राजगढ़ मध्यप्रदेश।
7. संबंधित -श्रीमती सोनाली सक्सेना, अध्यापक, शा.मा.शा.गुलखेड़ी, राजगढ़ मा. कन्या उमावि पचौर जिला-राजगढ़ मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।



उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश